प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23-02-2023

विषयः- जिला कारागार, क्योंझर, उड़ीसा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इन्दर अमर सोनकर उर्फ कालिया पुत्र श्री भजियालाल सोनकर, निवासी जनपद-जौनपुर को उत्तर प्रदेश की कारागार में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-9509/सामा-1(4)/14/वा0प्र0बंदीस्था0(जि0का0क्योंझर, उड़ीसा)/2021, दिनांक 23.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य की जिला कारागार, क्योंझर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इन्दर अमर सोनकर उर्फ कालिया पुत्र श्री भजियालाल सोनकर, निवासी ग्राम-घनघनुवॉ, थाना-सरायख्वाजा, जनपद-जौनपुर को उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में स्थानांतरित किये जाने के अनुरोध के क्रम में बंदी अंतरण अधिनियम-1950 की धारा-3, सपठित उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-130 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी इन्दर अमर सोनकर उर्फ कालिया पुत्र श्री भजियालाल सोनकर को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में स्थानांतरित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
2- महानिदेशक कारागार , हेड्स ऑफ डिपार्टमेन्टस बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, साउदर्न विंग, यूनिट-V, भुवनेश्वर, उड़ीसा -751001 को उनके पत्र संख्या-21334 J/RTR-07/2021, दिनांक 04-12-2021 के संदर्भ में। (रजिस्टर्ड)
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।